भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3293

7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डॉक्टरों द्वारा काम के घंटों के बाद भी काम करना

3293. श्री अजेन्द्र सिंह लोधीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टरों से निर्धारित समय से अधिक काम कराए जाने और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के उल्लंघन के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में संबंधित अधिकारियों और संस्थान के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है और समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए उत्तरदायी ठहराए गए व्यक्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों से प्रति सप्ताह 80 से 100 घंटे तक काम कराया जा रहा है, जो देशभर में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सुरक्षा और काम करने के घंटों की सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के मामला संख्या 441/90/0/2025 के अंतर्गत दिनांक 17.03.2025 की शिकायत पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु यह मामला मंत्रालय को भेजा गया था।

इस मामले की जांच मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) से परामर्श करके की गई थी तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें निम्नलिखित से अवगत कराया गया:

(i) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 2023 (पीजीएमईआर, 2023) के विनियम 5.2 (ii) के अनुसार, "सभी स्नातकोत्तर विद्यार्थी पूर्णकालिक रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्य करेंगे। वे युक्तिसंगत कार्य अवधि तक

कार्य करेंगे तथा उन्हें प्रतिदिन पर्याप्त विश्राम का समय प्रदान किया जाएगा।" इसके अतिरिक्त, पीजीएमईआर, 2023 के विनियम 9.1 के अनुसार, "अननुपालन अथवा किसी प्रकार की चूक की स्थिति में स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी) संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई करेगा।" पीजीएमईबी, एनएमसी को पीजीएमईआर, 2023 के विनियम 9.2 में उल्लिखित के अनुसार, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति-प्राप्त है।

(ii) एनएमसी की रैगिंग-रोधी समिति ने दिनांक 14.08.2024 को एक बैठक आयोजित कर इस घटना तथा देशभर में चिकित्सा विद्यार्थियों एवं रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा, कल्याण एवं कार्य परिस्थितियों पर उसके व्यापक प्रभावों पर विचार-विमर्श किया। तात्कालिक उपाय के रूप में, एनएमसी ने दिनांक 13.08.2024 को सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संस्थानों को एडवाइजरी जारी की।

(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा दिनांक 16.08.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों/संस्थानों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) तथा सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए कि चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के किसी भी मामले की स्थिति में संबंधित संस्थान द्वारा अधिकतम 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 23.08.2024 तथा 03.09.2024 के अर्द्धशासकीय (डी.ओ.) पत्रों के माध्यम से चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा बढ़ाने तथा उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण उपलब्ध कराने हेतु तत्काल आवश्यक उपाय करने संबंधी एडवाइजरी भी जारी किए गए।

(iv) आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज, पश्चिम बंगाल के मामले पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएमडब्ल्यू (आपराधिक) संख्या 2/2024 में विचार किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, कल्याण एवं कार्यस्थल परिस्थितियों से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु अनुशंसाएँ तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया। राष्ट्रीय कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट नवंबर, 2024 में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी।

इसके अतिरिक्त, चूँकि "जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल" राज्य का विषय है, अतः संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्थानीय आवश्यकताओं तथा लागू सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने संस्थानों में चिकित्सकों के कार्यावधि घंटे, सेवा शर्तों तथा ड्यूटी रोस्टर संबंधी मानदंड निर्धारित करते हैं।
